

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2460-डीबी
दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 10 अप्रैल, 2023

+ रि.या. (सि.) 4357/2023

पूर्व कान्सटेबल पद्म सिंह (सं.
883651229)

...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री मोहन कुमार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

...प्रत्यर्थागण

द्वारा : श्री प्रदीप कुमार झा, वरिष्ठ पैनल
अधिवक्ता और सुश्री पूनम, भारत
संघ के लिए सरकारी अधिवक्ता के
साथ श्री हेमेन्द्र सिंह, उपायुक्त
(विधि), सी.सु.बल।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत की मांग कर

रहा है:-

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2460-डीबी

“क) याचिकाकर्ता के दिनांक 09.09.2022 के विधिक प्रतिनिधित्व के समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु प्रत्यर्थागण को निर्देश देते हुए परमादेश का एक रिट जारी किया जाए।”

2. प्रत्यर्थी की ओर से अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता के दिनांक 09.09.2022 के विधिक प्रतिनिधित्व की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

3. तदनुसार, हम वर्तमान याचिका का निपटान करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 को याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधित्व दिनांकित 09.09.2022 (अनुबंध पी-1) पर आज से छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

4. इस प्रकार लिए गए निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता को उसके बाद एक सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश के साथ सूचित किया जाएगा।

5. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थी के निर्णय से व्यथित है तो वह उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं।

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2460-डीबी

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायाधीश

10 अप्रैल, 2023/

एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।